राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांकःमुसप्र/2019/1046 दिनांकः–10/12/2019

कार्यालय आदेश

"बुधवार नीलामी उत्सव" के सम्बन्ध में पूर्व में कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/936 एवं 937 दिनांक 19.11.2019 तथा मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय के आदेश क्रमांक 287 दिनांक 6.12.2019 द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्देशित की गई थी। समसंख्यक आदेशों की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. सफलतम बोलीदाता द्वारा निर्धारित राशि आगामी सोमवार (तीन दिवस एवं राजकीय अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस) तक मण्डल कार्यालय/खाते में जमा करानी होगी। बोलीदाता की सुविधा के लिए सम्बन्धित मण्डल कार्यालय के बैंक खाते का विवरण एवं बैंक का नाम पता आदि विशेष रूप से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना होगा। हैल्प–डेस्क के माध्यम से मण्डल कार्मिक द्वारा इस सम्बन्ध में समस्त प्रकार का परामर्श भी उपलब्ध कराया जाना होगा।

2. सफलतम बोलीदाता के पक्ष में आवंटन पत्र आगामी बुधवार तक वृत कार्यालयों /स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों द्वारा आवश्यक रूप से जारी किये जायेंगे।

3. यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जावे की पूर्व के बुधवार नीलामी उत्सव के अन्तर्गत निस्तारित आवास किसी भी अवस्था में आगामी बुधवार नीलामी उत्सव के अन्तर्गत उपलब्ध आवासों की सूची में से हटा दिये गये है।

4. प्रत्येक आगामी बुधवार नीलामी उत्सव के अन्तर्गत उपलब्ध आवासों की सूची मण्डल की वेबसाईट एवं मण्डल कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर शुक्रवार से आमजन की सूचना के लिए उपलब्ध रखना सुनिश्चित किया जावें।

(पवन अरोडा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज.आ.मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक–सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता–मु./प्रथम/द्वितीय/निदेशक–विधि/मख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.मं., जयपुर।
3. अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मु./राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राज.आवासन मण्डल,जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत .... राज. आवासन मण्डल, ... को उपरोक्तानुसार सूचना उपलब्ध कराने एवं समन्वयन हेतु।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राज. आवासन मण्डल, ...
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राज. आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें एवं उपरोक्तानुसार सूचना का संकलन भी करावें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी/नगरीय विकास विभाग, रा.आ.मं., जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक